

# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

## ज्ञापन

क्रमांक B / 2200 /  
III-19-21/57(SCMS)

जबलपुर, दिनांक 19 अप्रैल, 2018  
28

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
.....(म0प्र0).  
(राज्य के समस्त)

विषय :- अधीनस्थ न्यायालयों के चतुर्थ श्रेणी (Group-D) के पदों की पूर्ति आऊटसोर्सिंग से किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि माननीय कमेटी (SCMS/Arrears Committee-cum-Case Management Committee-cum-Committee for State Court Management System) की बैठक दिनांक 29/01/2018 में निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया है :-

“By the earlier Resolution dated 10.08.2017 it was decided that the facility of outsourcing of the employee on the trial basis may be implemented at every District and atleast one Group-D employee should be engaged for every sanctioned court from the existing strength, subject to vacancy of the Group-D employee.

It is now resolved that the contract agreement at Page 68 to 78 will be treated as Model Contract Agreement and will be circulated to all the District Judge, who can engage one Group-D employee for every sanctioned court, subject to vacancy of the Group-D employee, on experimental basis through the appropriate outsourcing agency at their level by inviting e-tender in the official web site. They will also ensure that the salary is transferred directly to the account of the Group-D employee so engaged.”

साथ ही, माननीय कमेटी की बैठक दिनांक 04/04/2018 में चर्चा उपरांत पारित संकल्प निम्नानुसार है :-


### In respect of outsourcing of Class-IV employees

“The Tender Document, Contract and Terms and Conditions in respect of outsourcing of Class IV employees is accepted with the modification that a Clause be inserted in the contract document that if the contractor is found to have been involved in unfair labour practice, then his contract will be revoked and security amount (EMD) will be forfeited.”

माननीय कमेटी के संकल्पों को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः निर्देशानुसार, आपकी स्थापना पर न्यायालयों के अमले के स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद के विरुद्ध एक कर्मचारी (प्रत्येक स्वीकृत न्यायालय हेतु एक) की आऊटसोर्सिंग से पूर्ति किये जाने के संबंध में संबंधित जिला न्यायाधीश कार्यवाही कर सकते हैं। टेण्डर स्वीकृत होने पर आऊटसोर्सिंग एजेंसी से अनुबंध किया जाना आवश्यक है। माननीय कमेटी द्वारा पारित संकल्प दिनांक 04/04/2018 के पालन में टेण्डर संबंधी (आदर्श प्रारूप) दस्तावेज, अनुबंध तथा नियम एवं शर्तें संबंधी समस्त छायाप्रतियाँ, अवलोकनार्थ एवं समुचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- Tender Documents, Contract and Terms  
& Conditions ( Model Contract Agreement).

  
28.04.18  
(सनत कुमार कश्यप)  
रजिस्ट्रार (डी0ई0)